कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 663 / तकनीकी / 2005 भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2006

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

समस्त उप पंजीयक,

मध्यप्रदेश.

विषय :– कम मूल्य के स्टाम्प लगाकर दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने के संबंध में।

———0———

राज्य में प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से नई गाईड लाईन दरें लागू होती है । देखने में आया है कि कतिपय पक्षकार नई दरों से शुल्क का भुगतान करने से बचने के उद्‌देश्य से अपने दस्तावेज बहुत कम राशि के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कर पंजीयन हेतु 31 मार्च से पहले प्रस्तुत कर देते हैं तथा उप पंजीयक उनसे बाद के महीनों में पूरा स्टाम्प शुल्क चुकवाकर इन्हें पंजीबद्ध कर देते हैं । बाद में स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35–च का सहारा लेकर लगवाए जाते है । धारा 35–च के प्रावधान निम्नानुसार है :–

35–च – '' कोई ऐसी लिखत जो विनियम–पत्र या वचन–पत्र नहीं है, सभी न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुये, उस शुल्क के, जिससे वह प्रभार्य है, अथवा उस लिखत की दशा में जो, अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम दे दिये जाने पर रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणित की जायेगी ।''

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि धारा 35–च के अंतर्गत स्टाम्प दस्तावेज को पंजीयन हेतु स्वीकार करते समय ही लगवाए जाना है, न कि दस्तावेज को पंजीयन हेतु लम्बित रखकर बाद में । अतः निर्देशित किया जाता है कि जिन मामलों में पक्षकारों द्वारा कमी स्टाम्प शुल्क की सम्पूर्ण राशि दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्तुत करते समय तत्काल नहीं चुकाई जाती है, उनमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 या 47–क(1) जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत कार्यवाही कर दस्तावेज कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु भेजें । किसी भी स्थिति में ऐसे दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय में बाद में 35–च के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क लगवाने हेतु लम्बित न रखे जाये ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

हस्ता/–

जिला पंजीयक,
वास्ते महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.